न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 89/2019

1 मुन्नी पत्नी अब्दूल सत्तार जाति फकीर निवासी नूआ हाल निवासी वार्ड नम्बर 14 मिल्लत नगर झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मोहम्मद अली पुत्र सदीक शाह।
2 हमीदा पत्नी सदीक शाह समस्त जाति फकीर निवासीगण नूआ तहसील व जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व आदेश उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू उनवानी प्रार्थना पत्र मुन्नी बनाम मोहम्मद अली मुकदमा नम्बर 74/19 आदेश दिनांक 24.09.2019

उपस्थिति :

1. श्री अनवर हसन, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः– 13.5.24

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 74/2019 में पारित निर्णय दिनांक 24.09.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने एक दावा उनवानी मुन्नी बनाम मोहम्मद अली मुकदमा नम्बर 180/2012 विचारण न्यायालय में पेश किया गया था जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 काश्तकारी अधिनियम उनवानी मुन्नी बनाम मोहम्मद अली मुकदमा नम्बर 107/2012 भी पेश किया था। उक्त उनवानी दावे में रेस्पोडेंट की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाकर अपीलांट का दावा खारिज कर दिया गया था तथा दावा खारिज होने के कारण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 काश्तकारी अधिनियम भी दावा के आधार पर खारिज कर दिया गया था जिस पर अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.02.2017 के विरूद्व विचारण न्यायालय में अपील उनवानी मुन्नी बनाम मोहम्मद अली मुकदमा नम्बर 24/2017 प्रस्तुत की गई थी जो विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 06.12.2018 को स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय डिक्री दिनांक 14.02.2017 को अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित कर निर्देश दिया कि मै प्रकरण में वाद बिन्दु नियत कर उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर समुचित सुनवाई का अवसर देकर वाद का गुणावगुण पर निस्तारण करें। विचारण न्यायालय के उक्त आदेश पर विचारण न्यायालय द्वारा दावा तो पुन नम्बर पर ले लिया गया लेकिन अपीलांट का दावे के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 काश्तकारी अधिनियम को पुनः नम्बर पर नही लिया गया। जिस पर अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दावे के साथ संलग्न अस्थाई निषेधाज्ञा पुन नम्बर पर लिये जाने बाबत पेश किया गया जो विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 24.09.2019 को खारिज कर दिया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलांट का उनवानी प्रार्थना पत्र मुन्नी बनाम मोहम्मद अली मुकदमा नम्बर 107/2012 विचारण न्यायालय में इस आधार पर खारिज किया गया था कि उक्त प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया गया मुल दावा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज हो चुका है। इसलिए दावा खारिज हो जाने के कारण प्रार्थना पत्र भी नही चल सकता, जबकि माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय का उक्त निर्णय व डिक्री अपास्त कर मुल दावे को विवादक बिन्दु तय करके साक्ष्य ली जाकर पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर मुल दावे को मैरिट पर गुणावगुण के आधार पर तय करने हेतु आदेश पारित किया गया है। जिससे मूल दावा पुनः नम्बर पर आ गया है और जब मूल दावा ही पुन नम्बर पर आ गया है तो उसके साथ ही दावे के साथ पेश किया अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी स्वतः कानूनन नम्बर पर आ जाता है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उनवानी मुन्नी बनाम मोहम्मद अली मुकदमा नम्बर 107/2012 मैरिट पर तय नही किया गया है। इसलिए कानूनन उक्त प्रकरण का विधि अनुसार निस्तारण नही माना जा सकता। दावे के साथ ही विचारण न्यायालय को उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र को भी नम्बर पर लिया जाकर गुणावगुण पर तय किया जाना चाहिए था। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण को विवादित आराजी को विक्रय नही करने व मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया हुआ था। चूंकि अब उक्त प्रार्थना पत्र पुन नम्बर पर आज तक नही लिया गया है इसलिए अप्रार्थीगण उक्त विवादित आराजी को विक्रय करने पर आमादा है व मौके व रिकार्ड की स्थिति बदलने पर उतारू हैं तथा प्रार्थीया को प्रार्थीया का हिस्सा काश्त नही करने की धमकी दे रहे है। इसलिए उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र पुन नम्बर पर लिया जाकर अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंटगण जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 24.09.2019 को अपास्त फरमाया उनवानी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुन्नी बनाम मोहम्मद अली

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

मुकदमा नम्बर 107/2012 विचारण न्यायालय तारिख फैसला दिनांक 14.02. 2017 को पुनः नम्बर पर लिया जाने का आदेश फरमाया जाकर रेस्पोडेंटगण/अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वे दौराने दावा प्रार्थीया को प्रार्थीया का 1/3 हिस्सा काश्त करने से व उसको उपयोग/उपभोग करने से नही रोके उसके कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करें। विवादित आराजी के किसी भाग का विक्रय नही करें तथा मौके व रिकार्ड की स्थिति बनाये रखें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचाराधीन प्रकरण के सम्बन्धित मूलवाद की प्रथम अपील इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06.12.2018 को स्वीकार की जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय हेतु रिमांड किया गया था। इसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत की गई थी। जो दिनांक 28.08.2023 को खारिज की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। पक्षकारों के मध्य धारा 212 के आवेदन का गुणावगुण पर निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर धारा 212 का गुणावगुण पर अन्तिम निस्तारण करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.06.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 13.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी